

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-17/2020-21

मो0 निजाम ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य ..... द्वितीय पक्ष

## आदेश


आवेदक मो0 निजाम, पिता- स्व0 मोहम्मद मुस्लिम, साकिन- जरमुने, टोला- चट्टी, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या 324 R27/2019-20 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :-


मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
जरमुने	108	154	2178	08 डी0
जरमुने	108	222	2194	0.25 डी0

अभिलेख में संलग्न दाखिल खारिज वाद संख्या 324 R27/2019-20 में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2020 में उल्लेख किया है कि "हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदित खातों में खाता संख्या 222 सी0एन0टी0 खाते की भूमि है। सक्षम पदाधिकारी से अनुमति नहीं ली गई है। आवेदक द्वारा त्रुटि पूर्ण ऑनलाईन आवेदन किए जाने का आवेदन प्राप्त है। अतः इस दाखिल खारिज नामांतरण को अस्वीकृत किया जाता है।"

तदनुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 324 R27/2019-20 में दिनांक 16.05.2020 को पारित आदेश से सहमत होते हुए आवेदक द्वारा समर्पित दाखिल-खारिज अपील वाद को खारिज (अस्वीकृत) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)